FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0102 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/04/2026 13:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 15/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/04/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/04/2026 13:39:33 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 26 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** RAJIV GANDHI SEVA KENDRA MAUBORDA ME SANCHALIT, KARYALAY GRAM MAUBORDA, PANCHYAT SAMITI KHANPUR, JILA JHALAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SONIYA VAISHNAV

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** PARVEEN BAIRAGI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	POLICE THANA KHANPUR KE PASS, KHANPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TARAZ, KHANPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJNI MEENA		पति:OKESH MEENA	1. BINAYAKA,PIPALDA,KOTA RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,400.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,400.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2026 को समय 11.00 एएम पर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव पत्नी श्री प्रवीण बैरागी उम्र-.34 वर्ष निवासी तारज हाल मुकाम पुलिस थाना के पास खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) मो.न. ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र, मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के नाम, रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाने बाबत् पेश किया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डा. प्रेरणा शेखावत द्वारा परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादिया ने मजीद दरियाफ्त में प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ‘‘मैं महूमहल खींची दरबार सेवा समिति में एक चयनित सदस्य के रूप में कार्यरत हूं। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष समाज के कल्याण से सम्बंधित कार्य किये जाते है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 16 फरवरी 2026 को संस्था द्वारा धानोद खुर्द पंचायत बोरदा मऊ, खानपुर में 26-27 जोड़ो का एक सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का समस्त खर्च जोड़ो, जनसहयोग व संस्था द्वारा ही उठाया गया। आयोजन में किसी प्रकार की कोई सरकारी व आर्थिक सहयोग प्राप्त नही हुआ है। विवाह हो जाने के बाद संस्था द्वारा सभी विवाहित जोडो का विवाह प्रमाण पत्र बनवाया जाना एक आवश्यक विधिक प्रक्रिया है। जिसके क्रम में मैं 2-3 बार ग्राम विकास अधिकारी रजनी मीणा के पास जा चूकी हूं। रजनी मीणा द्वारा मुझे बताया गया कि प्रति विवाह प्रमाण पत्र बनवाने हेतु 500 रूपये देने होंगें सभी जोडो के लगभग 13500 रूपये देने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगें व रजनी मीणा द्वारा बोला गया कि संस्था सामुहिक विवाह सम्मेंलन से स्वयं लाभ लेती है व सरकारी अनुदान से भी फायदा उठाती है इसलिए आपको प्रति जोडा 500 रूपये देना ही होगा। मैं रजनी मीणा को अपने वाजिब काम के लिए रिश्वत नही देना चाहती हूं बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहती हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करें।‘‘ परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाये जाने पर समय 12.15 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डा. प्रेरणा शेखावत भ्रनिब्यूरो झालावाड़ द्वारा परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव को समझाया गया कि श्रीमती रजनी मीणा वी.डी.ओ. द्वारा रिश्वत की मांग करने का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इस पर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव ने अवगत कराया कि आज रजनी मीणा वी.डी.ओ. ने मुझे आज 12-1 बजे के बाद सम्मेलन के जोडो के विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए रूपयों की बात करने के लिए बुलाया है इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मालखाना में रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 को जरिये श्री गोपाल लाल स.उ.नि. से निकलवाया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 32 GB C10 A1 micro SD U1 HC1) लगाकर चैक कर परिवादिया को डीवीआर को संचालन करने का विधिवत तरीका समझाया गया बाद समझाईश श्री देवदान सिंह कानि0 425 को डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन से पूर्व डीवीआर परिवादिया को सुपूर्द करने हेतु निर्देषित किया बाद समझाईश श्रीमती सोनिया वैष्णव को उसकी स्कूटी से व श्री देवदान सिंह को अपनी स्वयं की मोटरसाईकिल से परिवादिया के साथ गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देकर, परिवादिया को श्रीमती रजनी मीणा के पास जाकर उससे रिश्वत मांग की स्पष्ट वार्ता करने व वार्ता को डीवीआर में रिकार्ड कर लाने की समझाईश कर ग्राम पंचायत मऊ बोरदा की ओर रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 3.00 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 425 मय परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। श्री देवदान सिंह कानि0 425 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 32 GB C10 A1 micro SD U1 HC1) के पेश किया तथा परिवादिया ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हो चुका है। मैं व देवदान जी अपने अपने वाहनो से रवाना होकर ग्राम पंचायत मऊबोरदा के पास कुछ दूरी पर रूके जहां पर श्री देवदान जी ने मुझे पुनः डीवीआर चलाने व बन्द करने का तरीका समझाकर सुपूर्द किया तथा डीवीआर को मुझसे चालू करवाकर रिश्वत मांग का

गोपनीय सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु मुझे श्रीमती रजनी मीणा के पास ग्राम पंचायत मऊबोरदा के लिए रवाना कर वह भी मेरे पीछे पीछे अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आ रहे थे मैंने स्कूटी से ग्राम पंचायत में प्रवेश किया तथा मैं स्कूटी से ऊतर कर श्रीमती रजनी मीणा वीडीओ के कमरे में जा रही थी तब श्री देवदान जी ग्राम पंचायत के बाहर रोड से मुझे जाते हुये देख रहै थे, मैं श्रीमती रजनी मीणा के बारे में पुछ कर उसके कमरे में पहुंची तो वह वहां उपस्थित थी मैने उनसे हमारी संस्था मऊ महल खींची दरबार सेवा समिति द्वारा आयोजित सर्वजातिय सामुहिक विवाह सम्मेलन में 26 विवाहित जोडो का विवाह प्रमाण पत्र बनवाने हेतु बातचीत की तो श्रीमती रजनी मीणा द्वारा प्रत्येक जोडे के 26 विवाह प्रमाण पत्र बनाने की एवज में 13000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। इस पर मेरे हाथा जोडी करने पर उन्होने कहा कि एक विवाह प्रमाण पत्र के 500 रूपये के बदले तुम 400 रूपये दे देना। इस प्रकार उन्होने कुल 26 जोडो के विवाह प्रमाण पत्र बनाने के 10400 रूपये रिश्वत की मांग की गई है तथा रिश्वत राशि व विवाह प्रमाण पत्र के बाकी कागजात लेकर बुधवार दिनांक 15.04.2026 को बुलाया है। हम दोनो के बीच में जो भी वार्ता हुई थी वह आप द्वारा सुपूर्द डीवीआर में रिकार्ड हो गई थी मैने बाहर आकर डीवीआर बन्द कर श्री देवदान जी को सुपूर्द कर सारे हालात बताये थे। बाद गोपनीय सत्यापन मैं व देवदान जी मऊबोरदा से रवाना होकर कार्यालय में आये है। श्री देवदान सिंह कानि0 से पूछने पर उसने परिवादिया के कथनो की ताईद की गई। इस पर डीवीआर को कार्यालय के लेपटाप में लगाकर रिकार्डेड वार्ता को सुना गया तो परिवादिया व श्री देवदान सिंह कानि द्वारा बताये गये कथनो की पुष्टि व गोपनीय सत्यापन होना पाया गया। डीवीआर को जरिये श्री गोपाल लाल सउनि को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव को आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा की मांग अनुसार रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर बुधवार तक कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायदेकररूकसत किया गया। दिनांक 13.04.2026 समय 5.58 पीएम पर परिवादिया श्रीमती सोनियां वैष्णव के बताये अनुसार दिनांक 15.04.2026 वार बुधवार को ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना है। आगामी दिनांक 14.04.2026 को अम्बेडकर जयन्ती का अवकाश होने के कारण आज ही स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 15.04.2026 को प्रातःकाल के लिए एसीबी कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है। अतः जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 476 दिनांक 13.04.2026 मुर्तिब कर दो स्वतंत्र गवाह दिनांक 15.04.2026 को समय 08.00 एएम तक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु श्री देवदान सिंह कानि 425 को सुपुर्द कर गवाह पाबन्द करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। दिनांक 13.04.2026 समय 06.25 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि 425 कार्यालय में उपस्थित आया तथा स्वतंत्र गवाह पाबन्द करने का कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ का पत्रांक 20 दिनांक 13.04.2026 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया गया। जिसका अवलोकन करने पर स्वतंत्र गवाह श्री इरफान खान सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री अजय रावल जमादार द्वितीय श्रेणी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ होना पाया गया। श्री देवदान सिंह कानि ने बताया कि दोनो स्वतंत्र गवाह दिनांक 15.04.2026 को प्रातः काल 08.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दिया गया है। पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 15.04.2026 समय 08.05 एएम पर कार्यालय हाजा में पूर्व से तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी झालावाड से उपस्थित आये, जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री इरफान खान पुत्र श्री अहसान अहमद जाति मुस्लिम उम्र 39 वर्ष निवासी मंगलपुरा, खारी बावड़ी के पास झालावाड़ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ मो.न. व दूसरे ने अपना नाम श्री अजय रावल पुत्र श्री सीताराम जाति रावल उम्र 42 वर्ष निवासी गांव घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ हाल जमादार द्वितीय श्रेणी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ मो.न. होना बताया। जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाईश कर कार्यालय में बैठाया गया। समय 08.10 एएम पर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आई व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि वह अपने साथ दिनांक 10.04.2026 को आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊबोरदा से हुई वार्तानुसार उन्होने मुझसे दिनांक 16 फरवरी 2026 को महूमहल खींची दरबार सेवा समिति संस्था द्वारा धानोदा खुर्द, ग्राम पंचायत मऊबोरदा, में 26 जोड़ो का एक सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करवाया था। जिनके विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में उनके द्वारा रिश्वत के रूप में 10,400/-रूपये की मांग की थी। मैं उनकी मांग अनुसार ही रिश्वत राशि 10,400/-रूपये लेकर आई हूं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान इरफान खान व श्री अजय रावल से परस्पर परिचय कराया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव द्वारा दिनांक 10.04.2026 द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादिया से वार्तालाप कर परिवादिया द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। समय 08.15 एएम पर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री इरफान खान व श्री अजय रावल की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा

निर्देश देकर श्री देवदान सिंह कानि से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 32 GB C10 A1 micro SD U1 HC1) निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि दिनांक 10.04.2026 को परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव की आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊबोरदा पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ से रिश्वत मांग की गोपनीय सत्यापन वार्ता हो चुकी है। आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा नें महूमहल खींची दरबार सेवा समिति संस्था द्वारा धानोदा खुर्द, ग्राम पंचायत मऊबोरदा, में 26 जोड़ो का एक सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करवाया था। जिनके विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में आरोपिया द्वारा रिश्वत के रूप में 10,400/-रूपये की मांग की मांग की है। जो इस डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में सेव है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में सेव फाईल से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटाप में लिवाकर, दिनांक 10.04.2026 को परिवादिया एवं आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादिया के समक्ष वार्ता को लेपटाप में अलग से लगे स्पीकर आन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश न में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा हूबहू वार्ता की सुन-सुन कर लेपटाप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.50 एएम पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 482 दिनांक 15.04.2026 मुर्तिब कर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो महिला कानि भिजवाने बाबत् श्री छोटूलाल कानि. चालक 534 के भिजवा गया था। जो पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ से एक महिला श्रीमती शीतल महिला हैड कानि न. 15 को साथ लेकर आया। जिसको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा होने वाली कार्यावाही के बारे में समझाया जाकर गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत की गई। समय 10.00 एएम पर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव ने दोनों स्वतंत्र श्री इरफान खान व श्री अजय रावल के समक्ष अपने पास से आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊबोरदा, पंचायत समिति खानपुर की मांग अनुसार उसे देने हेतु रिश्वत राशि के 500-500 रूपये के 20 नोट व 200-200 रूपये के 02 नोट कुल राशि 10,400/-रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादिया व दोनों सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री छोटू लाल कानि. चालक नं. 534 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गई तथा उक्त कानि. चालक को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 10,400/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे तथा कार्यालय में उपस्थित महिला हैड कानि श्रीमती शीतल न. 15 से परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल व लेडिज पर्स के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री छोटू लाल कानि. चालक नं. 534 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव के लेडिज पर्स में रखवाये गये। परिवादिया को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपिया द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपिया से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादिया को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपिया द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखती अथवा छुपाती हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपिया के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनो हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनो स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री छोटू लाल कानि0 चालक से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री छोटू लाल कानि0 चालक के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री इरफान खान व श्री अजय रावल एवं परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव व उपस्थितगण को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है या छुई है। इसके पश्चात् श्री छोटू लाल कानि. चालक के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये

गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री छोटू लाल कानि0 चालक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादिया को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 32 GB C10 A1 micro SD U1 HC1) के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव को सुपुर्द किया गया। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.11 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा की स्थिति जानने हेतु कार्यालय में उपस्थित परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव के मोबाईल नम्बर से आरोपिया के मोबाईल नम्बर पर काल कर वार्ता करवाई गई तो आरोपिया द्वारा करीब 02 बजे कार्यालय में आने के लिए परिवादिया से कहा गया। समय 10.30 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव की आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होने से पूर्व परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव के मोबाईल नम्बर से आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा की ग्राम पंचायत मऊ बोरदा में उपस्थिति जानने हेतु उसके मोबाईल नम्बर पर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव की आपस में वार्ता करवायी गई गयी। उक्त वार्ता को परिवादिया के मोबाईल फोन का स्पीकर आन कर श्री देवदान सिंह कानि0 को निर्देश देकर ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 के मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 32 GB C10 A1 micro SD U1 HC1) में रिकार्ड करवाया गया गया था। उक्त रिकार्डेड मोबाईल वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर स्पीकर आन कर वार्ता को सुना गया, वार्तालाप की आवाजों को सुनकर आवाजों की पहचान कर परिवादिया द्वारा एक आवाज अपनी स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा की होना सुनकर पहचान कर बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश न में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा हूबहू वार्ता की सुन-सुन कर लेपटाप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 01.00 पी.एम पर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव द्वारा आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा के मोबाईल पर हुई वार्तानुसार आरोपिया द्वारा परिवादिया को समय करीब 02.00 पीएम तक कार्यालय ग्राम पंचायत मऊबोरदा में बुलाया गया है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि 425 व श्री शीशराम कानि 126 को मय प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा उनके पीछे-पीछे श्री मोहम्मद आफाक सउनि मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री इरफान खान, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री अजय रावल, जमादार द्वितीय, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर मय आवश्यक सामग्री के ग्राम पंचायत मऊ बोरदा से पहले रूकने की कहकर रवाना किया गया तथा उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डा. प्रेरणा शेखावत मय परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव, एसीबी जाब्ता श्री गोपाल लाल सउनि, श्री शिवराज कानि 166, श्रीमती शीतल महिला हैड कानि नं. 15 के प्राईवेट वाहन से मऊ बोरदा के लिए रवाना हुई। रिश्वत राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री छोटूलाल कानि चालक नं. 534 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 01.45 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय एसीबी जाब्ता के ग्राम पंचायत मऊबोरदा से कुछ दूरी पर रूकी, जहां पूर्व से श्री शीशराम कानि 126, श्री देवदान सिंह कानि 425, श्री मोहम्मद आफाक सउनि मय स्वतंत्र गवाहान के अपने-अपने वाहनो से उपस्थित मिले। परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव को डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर आवश्यक हिदायत देकर आरोपिया को रिश्वत राशि देने हेतु ग्राम पंचायत मऊबोरदा के लिए पैदल-पैदल रवाना किया गया। वाहनो को साईड में खड़ा करवाकर परिवादिया के पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाब्ता मय महिला हैड कानि के अपनी-अपनी उपस्थित छिपाते हुये राजीव गांधी सेवा केन्द्र मऊबोरदा में संचालित कार्यालय ग्राम पंचायत मऊबोरदा की बाउन्ड्री वाल के बाहर आस-पास ट्रेप जाल बिछाकर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव द्वारा रिश्वत राशि आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा को देने के ईशारे की प्रतिक्षा में मुकिम हुये। समय 02.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री इरफान खान व श्री अजय रावल के समक्ष परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव ने राजीव गांधी सेवा केन्द्र मऊ बोरदा में संचालित कार्यालय ग्राम पंचायत मऊ बोरदा के चैनल गेट से बाहर आकर दाहिनी साईड में अपनी उपस्थिति छुपाये रोड़ पर खड़ी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसीबी टीम की ओर रिश्वत राशि देने का ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो गवाहान एसीबी टीम को अपने पीछे आने का ईशारा

कर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव के पास पहुंची तो परिवादिया ने बताया कि मैनें अभी-अभी श्रीमती रजनी मीणा को नमस्कार कर, उनकी रिश्वत मांग के अनुसार मेरे लेडिज पर्स से रिश्वत राशि 10,400/-रूपये निकालकर उनकी ओर हाथ बढाते हुए उनको कहां कि ये लिजिए आपके पैसे। इस पर आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा ने रिश्वत राशि 10,400/-रूपये प्राप्त कर अपने हाथों में लेकर नीले टेबल कवर व टेबल के बीच में रख दिये। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादिया से डीजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर, बन्द कर, श्री देवदान सिंह कानि के पास सुरक्षित रखवाया तथा श्री शीशराम कानि 126 को कार्यालय के सरकारी मोबाईल से विड़ियो रिकार्डिंग करने के निर्देश दिये गये। परिवादिया मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एसीबी टीम को साथ लेकर राजीव गांधी सेवा केन्द्र मऊ बोरदा में संचालित ग्राम पंचायत मऊ बोरदा के बांयी साईड के कक्ष में प्रवेश किया तो साईड में टेबल कुर्सी पर बैगनी और सफेद रंग का सलवार सूट और सफेद दुपट्टा पहने हुए बैठी हुई राजकार्य कर रही महिला की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्रीमती रजनी मीणा है जिनको मैनें अभी-अभी हमारी संस्था महूमहल खींची दरबार सेवा समिति द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को धानोदा खुर्द पंचायत मऊ बोरदा खानपुर में 26 जोड़ो का सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिनके विवाह प्रमाण पत्र बनाने हेतु इनकी मांग अनुसार मैनें 10,400/-रूपये रिश्वत के रूप में दिये है। जो इन्होने प्राप्त कर टेबल कवर और टेबल के बीच में रखे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना नाम, पद एवं एसीबी टीम का परिचय देते हुए उस महिला से उसका नाम पता पूछा तो उसने बताया उसने अपना नाम श्रीमती रजनी मीणा पत्नी श्री ओकेश मीणा जाति मीणा उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा ग्रामीण हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव से अभी-अभी प्राप्त की गई रिश्वत राशि 10,400/-रूपये किस बात के प्राप्त किये है के बारे में पूछा तो श्रीमती रजनी मीणा ने घबराते हुये बताया कि इनकी संस्था द्वारा सर्वजातिय सामूहिक विवाह सम्मेलन में 26 जोड़ो का विवाह किया गया था। जिनके विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विवाह पंजीयन शुल्क जमा करवाया गया है। और जिनको मैने अभी गिना नही है। इस पर वही मौजूद परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव ने आरोपिया के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि हमारी संस्था महू महल खींची दरबार सेवा समिति द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को धानोदा खुर्द ग्राम पंचायत मऊ बोरदा तहसील खानुपर में 26 जोड़ो का सर्वजातिय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिनके विवाह हो जाने के बाद संस्था द्वारा सभी विवाहित जोड़ो का प्रमाण पत्र बनवाया जाना था। जिसके क्रम में मैं दो-तीन बार ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती रजनी मीणा के पास गई तो उन्होने मुझे बताया कि प्रति विवाह प्रमाण पत्र बनवाने हेतु 500/-रूपये देने होगें। सभी जो़ड़ो के लगभग 13 हजार पांच सौ रूपये देने के बाद ही विवाह प्रमाण पत्र. जारी किये जायेगे। जबकि नियमानुसार प्रति जोड़ा सौ रूपये विकास शुल्क और सौ रूपये पंजीयन जारी करने का शुल्क कुल 200 रूपये अधिकतम शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लिया जा सकता है। श्रीमती रजनी मीणा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक जोड़े के 500/-रूपये के हिसाब से कुल 13,500/-रूपये मांगे जाने पर मैनें दिनांक 10.04.2026 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमती रजनी मीणा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर उसी दिन आपके द्वारा श्री देवदान सिंह जी को मेरे साथ ग्राम पंचायत मऊ बोरदा भिजवाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापवन करवाया था। उस दिन मैनें श्रीमती रजनी मीणा ग्राम विकास अधिकारी से राशि कम करने के लिए अनुरोध किया था। इस पर उन्होने 500रूपये के स्थान पर 400रूपये प्रति जोड़ा कुल 26 विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के बदले 10,400/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी। आज मैनें इनकी मांग अनुसार ही 10,400/-रूपये दिये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती शीतल महिला हैड कानि नं. 15 को निर्देश देकर आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा ग्राम विकास अधिकारी के कलाई के उपर से दोनो हाथ पकड़वाये गये। बीएनएसएस की धारा 180 के तहत नया मेमोरी कार्ड लगाकर सरकारी मोबाईल फोन से समस्त पूछताछ की विड़ियोग्राफी रिकार्ड करवाई गई। ट्रेप बाक्स में से एक प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसमें पानी डालकर घोल तैयार करवाया गया तथा आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी के दाहिने हाथ की अगूंलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिनको हाजरिन को दिखाकर दो कांच की शीशीयो में आधा-आधा डालकर शिल्ड चस्पा मोहर किया जाकर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। इसके बाद एक दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, घोल का रंग रंगहीन रहा, उसमें श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी के बायें हाथ की अगूंलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त धोवन का रंग भी गुलाबी हो गया, जिनको हाजरिन को दिखाकर दो कांच की शीशीयो में आधा-आधा भरकर शिल्ड चस्पा मोहर अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव से रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त कर टेबल पोस के नीचे टेबल पर बांयी साईड में रखे गये थे। जिनको दोनो स्वतंत्र गवाहान से टेबल पोस के उठवाकर दिखवाया गया तो वहां रूपयों की थई रखी हुई थी। जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि एवं नोट दृष्टांत से नोटो का मिलान करने के निर्देश दिये गये। जिस पर श्री

इरफान खान स्वतंत्र गवाह ने नोटो को गिनकर तथा श्री अजय रावल स्वतंत्र गवाह ने फर्द से नोटो के नम्बरों का मिलान कर हूबहू होना बताया जो निम्न प्रकार हैः-
1. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2DP 797177 2. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7SQ 633094 3. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1LE 174561 4. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4EC 026492 5. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2RB 000821 6. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7KM 130242 7. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8QK 705998 8. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1LR 062914 9. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0LR 294662 10. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4AU 305931 11. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6ED 706099 12. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8QN 693583 13. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8GK 457764 14. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7VE 453933 15. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7VE 453934 16. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7VE 453935 17. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4EH 589460 18. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9CR 680788 19. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7DG 011178 20. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2SL 890194 21. एक नोट 200/-रूपये का नम्बर 3AL 043002 22. एक नोट 200/-रूपये का नम्बर 1AP 816748 उक्त रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 20 नोट तथा 200-200 रूपये के 02 नोट कुल 10,400/-रूपये के नोटों को एक पीले कलर के लिफाफे में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवार कर कब्जे एसीबी लिये गये। टेबल पोस के नीचे से टेबल के बांयी तरफ से रिश्वत राशि बरामद हुई, उस स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसमें पानी डालकर घोल तैयार करवाया जाकर एक कपडे की चिन्दी को धोवन में गीला कर रिश्वत राशि रखे स्थान पर रगड़ कर टेबल का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसको हाजरिन को दिखाकर दो कांच की शीशीयो में आधा-आधा डालकर शिल्ड चस्पा मोहर किया जाकर मार्क टी-1, टी-2 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये तथा धोवन के काम में ली गई चिन्दी को भी बतोर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़ा थैली में रखकर मार्क सी अंकित कर शील्ड चिट किया जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। ट्रेप कार्यवाही की धोवन की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन एन्ड्रोएड में मेमोरी कार्ड लगाकर श्री शीशराम कानि 126 को निर्देश देकर विड़ियो रिकार्डिंग करवाई गई। जिसकी मेमोरी कार्ड एवं पेनड्राईव को पृथक-पृथक सील मोहर कर फर्द मुर्तिब की जावेगी। धोवन में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को नष्ट करवाया गया। आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में महिला हैड कानि शीतल न. 15 द्वारा लिवाई गई तो एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का जिसमें एक सिम नम्बर लगी हुई थी, उक्त मोबाईल फोन द्वारा आरोपिया व परिवादिया के मध्य आपस में वार्ता हुई है। इसलिए मोबाईल फोन को कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा के लेडिज बैग में सरकारी कागजात, फाईल, चाबिया इत्यादि मिले, कोई आपत्तिजनक वस्तु/दस्तावेज नही मिलने पर लेडिज बैग को मय दस्तावेजात के वापस लौटाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा से पूछताछ कर उसके निवास स्थान का पता कर श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो झालावाड़ को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा कस्बा खानपुर में एचपी पेट्रोल पम्प के सामने श्री राजेन्द्र सिंह मीणा कानूनगो के मकान में किराये से रहती है, आप दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर उसके किराये के मकान की खाना तलाशी लेवे। श्री शिवराज कानि 166 को भी खाना तलाशी में सहयोग हेतु जरिये प्राईवेट मोटरसाईकिल के खानपुर के लिए रवाना किया गया। समय 03.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव की निषानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री इरफान खान व श्री अजय रावल के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल कशीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, नक्शा मौका हाजरीन को दिखाया व समझाया गया, जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मूर्तिबशुदा नक्शा घटनास्थल को शामिल पत्रावली किया गया । समय 04.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा पत्नी श्री ओकेश मीणा जाति मीणा उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा ग्रामीण हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपिया को बताया कि दिनांक 10.04.2026 को परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव द्वारा आपके कार्यालय कक्ष में रिश्वत की मांग वार्ता हुई थी तथा आज दिनांक 15.04.2026 को आपके मोबाईल नम्बर पर काल कर व वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव से आपकी वार्ता हुई है, उक्त सभी वार्ताओं को परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर/मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया है। जिसमें आपकी रिकार्डशुदा आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया जाना है जिसके लिये आप अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध करवाने हेतु आरोपिया को जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो, आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि ‘‘मैं अपनी आवाज की रिकार्डिंग का

स्वेच्छा से नमूना नहीं देना चाहती हूं" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 04.10 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव एवं आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन के संबंध में आज दिनांक 15.04.2026 को परस्पर ग्राम पंचायत मऊ बोरदा में आरोपिया के कक्ष में हुई वार्तालाप को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 के मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 32 GB C10 A1 micro SD U1 HC1) में रिकार्डेड में परिवादिया द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकार्डर में रेकार्ड किया गया था। वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर स्पीकर आन कर वार्ता को सुना गया, वार्तालाप की आवाजो को सुनकर आवाजों की पहचान कर परिवादिया द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड की होना सुनकर पहचान कर बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 न0 425 को निर्देश देकर सुन-सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाकर फर्द ट्रासक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.55 पीएम पर श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाब्ता के आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा के किराये के मकान खानपुर की खाना तलाशी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। फर्द खाना तलाशी का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06.00 पीएम पर दोनों गवाहान के समक्ष आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा पत्नी श्री ओकेश मीणा जाति मीणा उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा ग्रामीण हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़् द्वारा महूमहल खींची दरबार सेवा समिति द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को धानोदा खुर्द ग्राम पंचायत मऊ बोरदा पंचायत समिति खानपुर में आयोजित सर्वजातिय सामूहिक विवाह सम्मेलन में 26 जोड़ो का विवाह हुआ था, जिनके विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव सदस्य से प्रत्येक जोड़ो के विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में कुल 26 विवाह प्रमाण पत्र के 10,400/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर आज दिनांक 15.04.2026 को प्राप्त किये। जबकि नियमानुसार विवाह प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु 200/-रूपये से अधिक शुल्क देय नही है। उक्त 200/-नियमानुसार पंचायत द्वारा लिखित में प्रस्ताव लेकर सहमति लिए जाने के पष्चात ही शुल्क राशि लिया जाने का प्रावधान है। इस प्रकार आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा को धारा 35(3) बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपिया को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यो को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपिया को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपिया की जामा तलाशी दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्रीमती शीतल महिला हैड कानि नं. 15 द्वारा से लिवायी गयी तो आरोपिया के पास कोई आपतिजन सामग्री या राशि नही मिली। आरोपिया की गिरफ्तारी की सूचना घटनास्थल पर उपस्थित उनके पति श्री ओकेश मीणा को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। गिरफ्तारी के समय आरोपिया को गिरफ्तारी धारा 35 बीएनएसएस की चैक लिस्ट दी जाकर चैक लिस्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 06.20 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव व आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप दिनांक 10.04.2026 को हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 15.04.2026 को समय 08.15 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 15.04.2026 को परिवादिया व आरोपिया के मध्य मोबाईल वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता दिनांक 15.04.2026 को समय 10.30 एएम पर तैयार की गई थी एवं वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 15.04.2026 को परिवादिया व आरोपिया के मध्य हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 15.04.2026 को समय 04.10 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त सभी वार्ताए कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 में लगे मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 32 GB C10 A1 micro SD U1 HC1) में रिकार्डेड थी। उक्त तीनों वार्ताओ को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय के लेपटाप में लगाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा लेपटाप में बारी-बारी Sandisk 16 GB के पेनड्राईव लगाकर चार क्लोनिंग पेनड्राईव तैयार करवाये गये। चारों पेनड्राईव व मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 32 GB C10 A1 micro SD U1 HC1) की पृथक से हेष वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा चारों पेनड्राईव में से एक पेनड्राईव आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज हेतु तथा एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर तीनों पेनड्राईव को सील

मोहर किये गये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार कर खुला रखा गया तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 32 GB C10 A1 micro SD U1 HC1) में रिकार्डेड तीनो वार्ताओं के मेमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर से मूल मेमोरी कार्डस को निकालकर बतोर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई के दौरान श्री शीशराम कानि 126 द्वारा सरकारी मोबाईल से वीडियो रिकार्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल मय मेमोरी कार्ड (Systick micro sd10 hc 16 GB) को लेपटाप में कनेक्ट कर दो Sandisk 16 GB के पेनड्राईव तैयार करवाये गये, मेमोरी कार्ड व पेनड्राईव की पृथक-पृथक हैस वैल्यू निकाली गई तो समान पाई गई। जिसमें से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर सील मोहर किया गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर माननीय न्यायालय हेतु एक कपडे़ की थैली में रखकर सील मोहर किया गया तत्पश्चात खाना तलाशी के दौरान श्री छोटूलाल कानि चालक नं. 534 द्वारा सरकारी मोबाईल से वीडियो रिकार्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल मय मेमोरी कार्ड (Systick micro sd10 hc 16 GB) को लेपटाप में कनेक्ट कर दो Sandisk 16 GB के पेनड्राईव तैयार करवाये गये, मेमोरी कार्ड व पेनड्राईव की पृथक-पृथक हैस वैल्यू निकाली गई तो समान पाई गई। जिसमें से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर सील मोहर किया गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर माननीय न्यायालय हेतु एक कपडे़ की थैली में रखकर सील मोहर किया गया। समय 06.40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही सम्पूर्ण होने पर परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव को मोके से ही रूकसत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा को साथ लेकर ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से बरामद शुदा रिश्वत राशि का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स व जब्त शुदा मोबाईल इत्यादि लेकर साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनो से कार्यालय एसीबी चोकी झालावाड़ के लिए रवाना हुई। समय 07.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा व ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से बरामद शुदा रिश्वत राशि का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स व जब्त शुदा मोबाईल इत्यादि के अपने-अपने सरकारी व प्राईवेट वाहनो से कार्यालय एसीबी चोकी झालावाड़ पहुंची। मालखाना प्रभारी श्री गोपाल लाल सउनि जब्त शुदा रिश्वत राशि का लिफाफा, धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 10.04.2026 को परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव पत्नी श्री प्रवीण बैरागी उम्र-.34 वर्ष निवासी तारज हाल मुकाम पुलिस थाना के पास खानपुर जिला झालावाड़ ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ‘‘मैं महूमहल खींची दरबार सेवा समिति में एक चयनित सदस्य के रूप में कार्यरत हूं। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष समाज के कल्याण से सम्बंधित कार्य किये जाते है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 16 फरवरी 2026 को संस्था द्वारा धानोद खुर्द पंचायत बोरदा मऊ, खानपुर में 26-27 जोड़ो का एक सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का समस्त खर्च जोड़ो, जनसहयोग व संस्था द्वारा ही उठाया गया। आयोजन में किसी प्रकार की कोई सरकारी व आर्थिक सहयोग प्राप्त नही हुआ है। विवाह हो जाने के बाद संस्था द्वारा सभी विवाहित जोडो का विवाह प्रमाण पत्र बनवाया जाना एक आवश्यक विधिक प्रक्रिया है। जिसके क्रम में मैं 2-3 बार ग्राम विकास अधिकारी रजनी मीणा के पास जा चूकी हूं। रजनी मीणा द्वारा मुझे बताया गया कि प्रति विवाह प्रमाण पत्र बनवाने हेतु 500 रूपये देने होंगें सभी जोडो के लगभग 13500 रूपये देने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगें व रजनी मीणा द्वारा बोला गया कि संस्था सामुहिक विवाह सम्मेंलन से स्वयं लाभ लेती है व सरकारी अनुदान से भी फायदा उठाती है इसलिए आपको प्रति जोडा 500 रूपये देना ही होगा। मैं रजनी मीणा को अपने वाजिब काम के लिए रिश्वत नही देना चाहती हूं बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहती हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करें। ‘‘प्रार्थिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.04..2026 को ही रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊबोरदा, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ द्वारा परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव से महूमहल खींची दरबार सेवा समिति द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को ग्राम धानोदा खुर्द ग्राम पंचायत मऊबोरदा पंचायत समिति खानपुर में आयोजित सर्वजातिय सामूहिक विवाह सम्मेलन में 26 जोड़ो के विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में प्रत्येक विवाहित जोडे़ के 500/-रूपये के हिसाब से 26 जोड़ो के 13,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादिया श्रीमती सोनिया वैष्णव द्वारा आरोपिया से रिश्वत राशि कम करने का अनुरोध करने पर आरोपिया द्वारा प्रति जोड़े के हिसाब से 400/-रूपये के हिसाब से देने की सहमति देकर 26 विवाहित जोड़ो के 10,400/-रूपये रिश्वत राशि दिनांक 15.04.2026 को देना तय होने की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में पुष्टि होने पर दिनाक 15.04.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी को 10,400/-रूपये रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। जबकि नियमानुसार विवाह प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु 200/-रूपये से अधिक शुल्क देय नही है। उक्त शुल्क 200/-रूपये नियमानुसार पंचायत द्वारा लिखित में प्रस्ताव लेकर सहमति लिए जाने के पष्चात ही शुल्क राशि लिये जाने का प्रावधान है

। इस प्रकार आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करते हुये रंगे हाथों पकड़ा जाने पर आरोपिया के दोनों हाथों का धोवन गुलाबी व रिश्वत राशि बरामद स्थान का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.04.2026, मोबाईल वार्ता दिनांक 15.04.2026 व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 15.04.2026, फर्द बरामदगी दिनांक 15.04.2026 व समस्त उपरोक्त कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पर आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर, गिरफ्तारी का नोटिस लिखित में पृथक से दिया जाकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा पत्नी श्री ओकेश मीणा जाति मीणा उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा ग्रामीण हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का अपराध प्रमाणित होना पाया जाने पर उक्त आरोपिया के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है। भवदीय (डा. प्रेरणा शेखावत) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डाँ. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती रजनी मीणा पत्नी श्री ओकेश मीणा, जाति मीणा, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम बिनायका, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा ग्रामीण, हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुकुल शर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 383 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 663-66 दिनांक 17.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झालावाड 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MUKUL SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/04/2026 13:43:47

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)